न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

निगरानी प्र0 क0 191–दो/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 07–01 2013 पारित अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 290/अपील/2010 11.

1 जयप्रकाश दुबे तनय स्व. हीरालाल दुबे
2 श्रीमती रामरजी पत्नी स्व. हीरालाल दुबे
3 राजकुमार दुबे (विकृत चित्त) तनय स्व. हीरालाल दुबे
जरिये संरक्षिका पत्नी श्रीमती निर्मला देवी (मृत) वरिसान–
क– श्रीमती निर्मला दुबे पत्नी राजकुमार दुबे
ख श्रीराम दुबे पुत्र राजकुमार दुबे
ग मनोजकुमार दुबे पुत्र राजकुमार दुबे
घ गोपीनाथ दुबे पुत्र राजकुमार दुबे
ङ– गोबिंदनारायण पुत्र राजकुमार दुबे
छ - प्रीति दुबे पुत्री राजकुमार दुबे
ज– कीर्ति दुबे पुत्री राजकुमार दुबे
समस्त निवासी ग्राम जमुई थाना व तहसील मऊगंज,
जिला रीवा म0प्र0

––– आवेदकगण

विरूध्द

1– राकेश कुमार तनय स्व. विजयशंकर दुबे
2 राजेन्द्रकुमार तनय स्व. विजयशंकर दुबे
3 जयकुमार तनय स्व. विजयशंकर दुबे
4 श्रीमती शकुंतला पुत्री स्व. हरिशंकर
समस्त निवासी ग्राम जमुई थाना व तहसील मऊगंज,
जिला रीवा म0प्र0
5 श्रीमती चम्पादेवी पत्नी स्व. विन्ध्यवासिनी प्रसाद
6– महेन्द्रकुमार तनय स्व. विन्ध्यवासिनी प्रसाद
7– राजेन्द्र प्रसाद तनय स्व. विन्ध्यवासिनी प्रसाद
8– नारेन्द्रप्रसाद तनय स्व. विन्ध्यवासिनी प्रसाद
9 विजय कुमार तनय स्व विन्ध्यवासिनी प्रसाद
क0 5 से 9 निवासी ग्राम गोइडार, तह0 मऊगंज
जिला रीवा हाल मुकाम ग्राम जमुई,
तह0 मऊगंज जिला रीवा

10--रामकली पुत्री स्व. रामप्रसाद दुबे
नि0 ग्राम देवरी तह. सिहावल जिला सीधी
हाल मुकाम ग्राम जमुई,तह0 मऊगंज
11--सोनकली (मृत) पुत्री रामप्रसाद दुबे पत्नी स्व.चन्द्रशेखर तिवारी नि0 मिसिरगंवा, तह0 मऊगंज, जिला रीवा
वारिसान--
अ- आशादेवी पुत्री स्व.चन्द्रशेखर तिवारी
नि0 मिसिरगंवा, तह0 मऊगंज, जिला रीवा
हाल मुकाम ग्राम जमुई, थाना व तह0 मऊगंज
ब- श्रीमती पुष्पा मिश्रा पत्नी रामदरस मिश्रा
नि0 ग्राम घुरेहटा, तह. मऊगंज
हाल मुकाम ग्राम जमुई, थाना व तह0 मऊगंज
स- कमलकुमार तिवारी तनय स्व.चन्द्रशेखर तिवारी
नि0 मिसिरगंवा, तह0 मऊगंज, जिला रीवा
हाल मुकाम ग्राम जमुई, थाना व तह0 मऊगंज
द- गुलाबवती पुत्री स्व.चन्द्रशेखर तिवारी
नि0 मिसिरगंवा, तह0 मऊगंज, जिला रीवा
हाल मुकाम ग्राम जमुई, थाना व तह0 मऊगंज
12-- कुसुमकली पुत्री स्व. रामप्रसाद दुबे
नि0 ग्राम धोपारी तह. सिहावल जिला सीधी
हाल मुकाम ग्राम जमुई, थाना व तह0 मऊगंज
13-- ध्यामवती पुत्री स्व. रामप्रसाद दुबे
नि0 ग्राम धोपारी तह. सिहावल जिला सीधी
हाल मुकाम ग्राम जमुई, थाना व तह0 मऊगंज

14- भूरी उर्फ अजयकुमार पुत्री स्वत्र विजयशंकर दुबे
पत्नी भरतलाल तिवारी, नि0 ग्राम भेलकी, तह0 चुरहट, जिला सीधी
हाल मुकाम ग्राम जमुई, थाना व तह0 मऊगंज
15- सुमन देवी पुत्री स्व हीरालाल दुबे पत्नी चन्द्रमणित प्रसाद
नि0 ग्राम बधैया, तह0 हनुमना, जिला रीवा
हाल मुकाम ग्राम जमुई, थाना व तह0 मऊगंज

अनावेदकगण

श्री गुकेश भार्गव, अभिभाषक आवेदकगण
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक- अनावेदक क0 1,2,3,10,13 एव 14

आदेश

(आज दिनांक 18.6.14 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क0 290/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 07–01–2013 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदकगण तथा अनावेदक क0–1 से 5 ने ग्राम जमुई स्थित प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 24 कुल रकबा 15.61 एकड़ के खाता विभाजन हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसील न्यायालय ने प्रकरण पंजीबध्द कर कार्यवाही प्रारम्भ की। पटवारी हल्का व्दारा मौके की स्थिति व कब्जा एवं सहमति के आधार पर पुल्ली तैयार कर तहसील न्यायालय में प्रस्तुत की। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 20–7–2007 व्दारा पटवारी प्रतिवेदन एवं पुल्ली के आधार पर बटवारा स्वीकृत किया।

3/ उक्त आदेश के विरूध्द जयशंकर की वारिसान अनावेदक राकेशकुमार, राजेन्द्रकुमार, जयकुमार एवं मुस0 महरनिया व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 9–11–2010 व्दारा अपील स्वीकार कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया और प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी अपील अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 07–01–13 व्दारा खारिज की। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

4/ मैंने अधीनस्थ न्यायालयो के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के अभिभाषक ने लिखित तर्कों में यह मुद्दा प्रस्तुत किया है कि अनावेदक कमांक 1 से 3 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर करने का हक नहीं है क्योंकि खाता विभाजन का आवेदन अनावेदक क0–1 से 3 ने अन्य आवेदनकर्त्ताओं के साथ प्रस्तुत किया और उनकी सहमति से ही बटवारा आदेश पारित किया गया है। उनका तर्क है कि बटवारा आदेश पर अनावेदक क0–1 से 3 के अलावा अन्य किसी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। पटवारी व्दारा जो बटवारा पुल्ली तैयार करायी गयी उसमे जब किसी पक्षकार ने आपत्ति नहीं की और तहसीलदार के समक्ष कोई बिन्दू विवादित नहीं था। ऐसी दशा में बटवारा पुल्ली पर प्रति--परीक्षण कराने की प्रकिया का अनुशरण करने का कोई आधार या औचित्य नहीं था, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी व्दारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करना विधि विधान के प्रतिकूल है। उनका तर्क है कि विचारण तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 20–7–07 को मान करके ही अनावेदक 1 तथा 4 ने भूमि नं0 4/2/3/1क रकबा 0.04 एकड़ पंजीकृत विकयपत्र दिनांक 17–9--09 के व्दारा श्रीमती पुष्पा मिश्रा को विकी की गयी है, किन्तु इस महत्वपूर्ण बिन्दू पर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त व्दारा विचार नहीं किया गया। अनावेदक जहाँ तहसील के आदेश के अनुसार लाभ प्राप्त कर रहा है और बटवारा मान्य करता हैं। वही दूसरी ओर अनावेदक तकनीकी बिन्दू पर विचारण न्यायालय के आदेश को अवैध बता रहे हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 151 के अधीन अनावेदक 1 से 3 के ऊपर विबंधन का सिध्दान्त लागू होता है और उनके व्दारा तहसीलदार के आदेश को चुनौती नही दी जा सकती। उनका यह भी तर्क है कि शासकीय भू–खण्ड भूमि नं0 9 रकबा 0.41 एकड़ जो एन एच 7 के उत्तर तरफ मऊगंज पर स्थित है, शासकीय होने के कारण बटवारे में शामिल नहीं किया जा सका। आपस में तय हुआ था कि 1/4 आवेदकगण

एव अनावेदक 1 से 4 मौके से प्राप्त करेगें, किन्तु अनावेदक क0–1 से 3 व्दारा पूरी भूमि को हड़प लेने से विवाद उत्पन्न हुआ है। अन्त में उनका यह तर्क है कि अनावेदक क0–1 से 3 ने तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, मऊगंज, रीवा के समक्ष व्यवहार वाद क0 307ए/2013 स्वत्व घोषणा एव स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया था जो निर्णय दिनांक 21–12–13 व्दारा खारिज किया जा चुका है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदको के अभिभाषक श्री द्विवेदी का तर्क है कि तहसील के समक्ष प्रस्तुत किये गये बटवारा आवेदनपत्र में अनावेदकों के हस्ताक्षर नहीं है। तहसील में अनावेदकों के फर्जी हस्ताक्षर कर बटवारा आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया। उनका यह भी तर्क है कि पटवारी व्दारा बनायी गयी पुल्ली में सभी सहखातेदारों के सहमति के हस्ताक्षर नहीं है। पटवारी ने स्वयं प्रतिवेदन में स्थल निरीक्षण के समय सहखातेदार गॉव से बाहर होने से उपस्थित नहीं होना अंकित किया है। उनका तर्क है कि बटवारा पुल्ली का विधिवत प्रकाशन नहीं किया गया और ना ही अनावेदकों को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया। ऐसी दशा में बटवारा नियमों का पालन नहीं किये जाने से अपीलीय न्यायालयों व्दारा विचारण तहसील न्यायालय का बटवारा आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ तहसील न्यायालय के अभिलेख देखने से विदित होता है कि तहसील न्यायालय में बटवारा आवेदनपत्र आवेदक तथा अनावेदक क0–1 से 4 व्दारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी/अनावेदक ने आवेदनपत्र में आवेदक/अपीलार्थी के फर्जी हस्ताक्षर तथा अपी0 क0 4 का फर्जी अंगूठा होना अंकित किया है, किन्तु इस संबंध में कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही अपीलीय

अनावेदक तकनीकी आधार पर विचारण न्यायालय के आदेश को अवैध बता रहे हैं। अन्य सहखातेदारों भी तहसील के बटवारा/नामान्तरण के पश्चात पंजीयत विकयपत्र के माध्यम से भूमि का विकय किया जाना विकयपत्रों की फोटो प्रतियॉ से ज्ञात होता है। तहसीलदार व्दारा अपीलार्थी/अनावेदक एवं रिस्पोन्डेन्ट/आवेदकगण के संयुक्त आवेदनपत्र के आधार पर पटवारी व्दारा सहमति के आधार पर प्रस्तुत पुल्ली के आधार पर बटवारा आदेश पारित किये गये और इस बटवारा/नामान्तरण आदेश के आधार पर सहभूमिस्वामियों व्दारा पंजीयत विकयपत्र के माध्यम से भूमि का विकय किया जा चुका है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी व्दारा बटवारा नियम का पालन नहीं करने अर्थात प्रकिया की त्रुटि के आधार पर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की है। विव्दान अपर आयुक्त व्दारा भी आदेश पारित करते समय इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 07–01–13 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 09–11–2010 निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार का आदेश दिनांक 20–7–07 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0